



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 1 राँची, बुधवार 15 पौष, 1943 (श०)
5 जनवरी, 2022 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 1- 7

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

28 दिसम्बर, 2021

संख्या-03/नि०सं०-09-24/2018का.8814—स्व० ज्ञान प्रकाश मिंज, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-876/03), तत्कालीन आयुक्त के सचिव, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को दिनांक 08.07.2005 से दिनांक 18.07.2005 तक (कुल 11 दिनों का) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

29 दिसम्बर, 2021

संख्या-1/विविध-818/2021का०-8819—श्री चन्द्रकिशोर उराँव, भा.प्र.से. (झा:2008), विशेष सचिव, स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 23.08.2021 से 30.09.2021 तक कुल 39 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 21.08.2021 एवं 22.08.2021 को शनिवारीय/रविवारीय अवकाश का उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

29 दिसम्बर, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-01-2017-181712 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री हरिशंकर बारिक, झा०प्र०से०, द्वितीय बैच की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से इस शर्त के साथ सम्पुष्ट की जाती है कि इनकी सेवा संपुष्टि माननीय न्यायालय मे दायर रिट याचिका संख्या 3594/2011 (बुद्धदेव उराव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) तथा अन्य याचिकाओ मे पारित होनेवाले अंतिम न्याय निर्णय से प्रभावित होगा : -

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	Current Office Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	HARISHANKAR BARIK- (20080400074)	DC OFFICE RANCHI	<u>RATU BLOCK, RANCHI</u> Block Development Officer	01/09/2008	09/06/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3017

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

30 दिसम्बर, 2021

संख्या-1/विविध-808/06 खंड का०-8879A--विभागीय अधिसूचना संख्या-8261 दिनांक 03.12.2021 द्वारा श्रीमती वंदना दादेल, भा.प्र.से. (झा:1996), प्रधान सचिव, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को दिनांक 30.12.2021 से 07.01.2022 का स्वीकृत कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश को रद्द करते हुए उनके अनुरोध पर अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 03.01.2022 से दिनांक 07.01.2022 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, दिनांक 08.01.2022 एवं 09.01.2022 के शनिवारीय/रविवारीय अवकाश का उपभोग suffix के रूप में करने तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2021

संख्या-1/विविध-804/2021 का०-8879--श्री प्रभात कुमार, भा.प्र.से. (झा:2011), तत्कालीन अपर सचिव, स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, सम्प्रति- अपर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 27.05.2021 से 24.06.2021 तक 29 दिनों के लिए रूपान्तरित अवकाश एवं दिनांक 25.06.2021 से 16.07.2021 तक कुल 22 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 26.05.2021, 17.07.2021 एवं 18.07.2021 के सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश का उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

30 दिसम्बर, 2021

संख्या-1/विविध-812/2016 का०-8874--श्री संजीव कुमार बेसरा, भा.प्र.से. (झा:2012), संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 23.12.2021 से 31.12.2021 तक कुल 09 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं NILAM KUMARI अन्य नाम NEELAM KUMARI पति LATE BIRENDRA KUMAR, शपथ पत्र सं० 855, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 के अनुसार NILAM KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी।

NILAM KUMARI एवं NEELAM KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

PRESENT RESIDENT-- C/O BIRENDRA KUMAR, 04
ROAD NO- 01,
NEAR KAMLA APPARTMENT,
BANK COLONY, KOKAR,
RANCHI G.P.O.
PIN - 834001
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MANISH SRIVASTAVA अन्य नाम MANISH KUMAR SRIVASTAVA पिता K.N.P. SRIVASTAVA, शपथ पत्र सं० 01, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के अनुसार MANISH SRIVASTAVA के नाम से जाना जाऊँगा।

MANISH SRIVASTAVA एवं MANISH KUMAR SRIVASTAVA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

PRESENT RESIDENT-- ROAD NO. - 5
GHAT ROAD,
KETARI BAGAN,
P.O & P.S.- NAMKUM,
DIST.- RANCHI,
PIN - 834010
JHARKHAND.
